कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, छतरपुर म. प्र.

बिन्दु क्र. 1 जिला शहरी विकास अभिकरण छतरपुर का संगठनात्मक ढांचा

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, छतरपुर म. प्र.

कलेक्टर /अध्यक्ष

परियोजना अधिकारी

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

लिपिक भृत्य

जिला शहरी विकास अभिकरण में निम्न शाखायें है :–
1. लेखा /स्थापना 2. आवक जावक शाखा 3. योजना शाखा

कार्यालय में मात्र एक उच्च श्रेणी लिपिक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) तथा एक भृत्य (कलेक्टर कार्यालय) कार्यरत है।

(2) कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम तथा उनके वेतन एवं कर्तव्यों का विवरण

नाम	पद	वेतन	कर्तव्य
1. श्री सुभाष अग्रवाल	परियोजना अधिकारी	13469	प्रशासनिक एवं कार्यालय संचालित योजना का क्रियान्वयन
2. श्री आर.के. शर्मा	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	11062	''

(3) कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया

- शासन/प्रतिनिधि/आम जनता एवं नगरीय निकायों से प्राप्त पत्र
- परियोजना अधिकारी आवश्यक निर्देशों के साथ टीप कर संबंधी शाखा को प्रेषित करता है।
- आवक/जावक शाखा द्वारा पंजीकृत कर पत्र संबंधी शाखा का प्रेषित करना।
- शाखा लिपिक द्वारा अपनी टीप के साथ परियोजना अधिकारी को नस्ती प्रस्तुत करना।
- परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश अंकित करना/कलेक्टर/अध्यक्ष को भेजना/नस्ती करना

(4) कार्यालय द्वारा कार्यो को समय सीमा के अन्दर निपटाये जाने संबंधी कार्यवाही

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं महिला बच्चों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन से प्राप्त लक्ष्य को जिले के नगरीय निकायेां को वितरित किया जाता है। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार समय सीमा निश्चित की गई है –

1. अप्रेल 2005 से जून 2005 तक 25 प्रतिशत
2. जुलाई 2005 से सितम्बर 2005 तक 50 प्रतिशत
3. अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2005 तक 75 प्रतिशत
4. जनवरी 2006 से मार्च 2006 तक 100 प्रतिशत

निर्धारित लक्ष्यों में से 30 से 50 प्रतिशत महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाये और कुल हितग्राहियों में से 6 प्रतिशत विकलांग हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावे इन लक्ष्यों में से 11 अ व 11 ब अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग में से उनकी स्थानीय शहरी जनसंख्याएं उनकी आबादी के अनुपात में लाभ दिया जाता है।

(5) जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन राज्य शासन इण्डियन सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत नगरीय कल्याण द्वारा गठन किया गया है। कार्यालयीन कार्य अधिनियम एवं शासन के प्रपत्रों के अनुसार कार्य संपादित किया जाता है।

(6) कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची :-

क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1.	कार्यवृत्त पुस्तिका गवर्निंगवाडी	रजिस्टर		
2.	मासिक जानकारी	रजिस्टर		
3.	त्रैमासिक जानकारी	प्रपत्र		
4.	वार्षिक जानकारी	प्रपत्र		
5.	स्टाक पंजी	रजिस्टर		
6.	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर		
7.	वेतन	वेतन पत्रक		
8.	रोकड़िया	रोकड़िया पत्रक		
9.	छुटटी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर		
10.	पोस्टेज पंजी	रजिस्टर		
11.	विधानसभा	रजिस्टर		
12.	समय सीमा	रजिस्टर		
13.	आवेदन पत्र/पत्राचार	संबंधी प्रकरण कीजानकारी		

(7) परामर्श दात्री समिति –

जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन राज्य इंडियन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत नगरीय कल्याण द्वारा संचालित विविध योजनाओं के संचालन के लिये किया गया है। समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र सा.सा. 192 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधि. पंजीकृत हुआ। इस हेतु गवर्निंग वाडी का गठन नगरीय कल्याण संचालनालय म.प्र. भोपाल (पदेन अध्यक्ष) के पत्र क्रमांक 7437/शा-4/एस.जे.एस. /4/99/2000 भोपाल दिनांक 24-7-99 अनुसार निम्नानुसार सदस्यों को मनोनीत किया गया है :-

1. जिले के जिलाध्यक्ष इसके पदेन।
2. विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी गृह निर्माण मंडल विकास सुधार न्यास, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारी
3. नगर निगम/नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/प्रशासक/आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
4. बैंक के प्रतिनिधि।
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य।
6. नगर सुधार न्यास के कार्यपालन अधिकारी।
7. गरीबों की भलाई में लगी अशासकीय संस्था का एक प्रतिनिधि।
8. एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता।
9. अनुसूचित जाति और जनजाति के एक एक प्रतिनिधि।
10. नगरीय क्षेत्रों से संबंधित मा. सांसद/विधायक गण।

(8) विगत बैठक की कार्यवाही विवरण एवं उनका प्रारूप

परामर्शदात्री समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाता है व पालन प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

(9) प्राधिकारियों और कर्मचारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	पता	दूरभाष क्र. नि.	कार्यालय
1.	श्री सुभाष अग्रवाल, परियोजना अधिकारी	आदर्श नगर छतरपुर	9425144034	241391
2.	श्री आर.के. शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	राज्य परिवहन डिपों के सामने	9425140802	—

(10) कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम

अ. क्र.	नाम पदाधिकारी /कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन + महंगाई	विनियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान
				गृह भाड़ा	मेडीकल भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री सुभाष अग्रवाल	परियोजना अधिकारी	12844	325	—	13169	5500—9000
2.	श्री आर.के. शर्मा	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	10790	272	—	11062	5000—8000
3.	श्री अशोक मिश्रा	प्रशा.सहा.ग्रेड—2	8278	208	—	8486	4000—6000
4.	श्री उदित नारायण नामदेव	भृत्य	4897	126	—	5023	2550—3200
5.	श्री अरविन्द रिछारिया	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2500	—	—	2500	2500
6.	श्रीमती आरती रावत	सामुदायिक संगठक	2500	—	—	2500	2500
7.	श्रीमती तारा गुप्ता	,,	2500	—	—	2500	2500
8.	श्रीमती सीमा सोनी	,,	2500	—	—	2500	2500
9.	श्रीमती सुस्मिता सक्सेना	,,	2500	—	—	2500	2500
10	श्रीमती निष्ठा भट्ट	,,	2500	—	—	2500	2500

(11) कार्यालय के लिये मदवार (   ) आवंटन

विषय : स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सभी कार्यक्रमों की जानकारी

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	पूर्व वर्ष की शेष राशि	चालू वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि (3+4)	व्यय राशि	शेष राशि	भौतिक उपलब्धि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	0.80	—	0.80	—	0.80	—	—
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम–प्रशिक्षण (USEP-Tri)	10.62	—	10.62	0.92	9.70	—	—
3	अधोसरंचनात्मक सहायता (INFRASTRUCTURE)	2.16	—	2.16	—	2.16	—	—
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWEP)	2.07	—	2.07	—	2.07	—	—
5	महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम अनुदान (DWCUA)	5.57	—	5.57	—	5.57	—	—
6	बचत एवं साख समिति (T.&C.S.)	5.84	—	5.84	—	5.84	—	—
7	सामुदायिक संगठन घटक (COMMUNITY STRUCTURE)	6.74	—	6.74	5.29	1.45	—	—
8	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेक्षण (I.E.C.)	0.44	—	0.44	—	0.44	—	—
9	स्थानीय निकायों का सुदृणीकरण (ULBs)	0.60	—	0.60	0.42	0.18	—	—
10	प्रशासकीय व्यय (A.&O.E.)	6.16	—	6.16	1.84	4.32	—	—
	योग	**41.00**	**—**	**41.00**	**8.47**	**32.53**	**—**	
11.	**राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम**	**20.668**	**10.00**	**30.668**	**16.577**	**14.091**	**—**	**_**

(12) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जानकारिया :–

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना – स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिनांक 1–12–1997 जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से जिले की कुल जनसंख्या 1474633 में से शहरी जनसंख्या 324279 के लिये जिले की 2 नगर पालिका 13 नगर पंचायतों में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना है। जिसमें 75ः केन्द्रांश तथा 25ः राज्यांश उपलब्ध कराया जाता है। योजना का मुख्य उददेश्य शहरी गरीबी में स्वरोजगार हेतु कौशल विकसित करने हेतु विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाना तथा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 15ः अथवा 7500/– के अनुदान सहित 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराना। स्वरोजगार में रूचि न रखने वाले शहरी गरीबों को नगरीय निकायों के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग की परि सम्पत्तियों के निर्माण में मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराकर अपरोक्ष रूप से महा नगरों की ओर पलायन को रोकना है। नगरीय निकाय क्षेत्र में सामुदायिक समितियों का गठन कराया जाकर सामुदायिक समितियों के माध्यम से महिला समूहों का गठन किया जाकर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 50ः अथवा 1.25 लाख तक के अनुदान सहित 2.50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से महिलाओं के स्व–सहायता समूहों का गठन तथा अन्य गतिविधियों तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सांस्कृतिक गतिविधियां बालवाडियों का संचालन तथा रोजगार मूलक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था द्वारा महिलाओं में जागृति तथा शिक्षित तथा स्वावलम्बी बनाने की दिशा में सतत प्रयास किये जा रहे है।

स. क्र.	निकाय का नाम	बैंक का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	बैंक में प्रस्तुत प्रकरण	बैंक द्वारा वापिस किये गये प्रकरण	बैंक द्वारा स्वीकृत प्रकरण			बैंक द्वारा वितरित प्रकरण		
							संख्या	ऋण	अनुदान	संख्या	ऋण	अनुदान
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-	छतरपुर	एस.बी.आई. छतरपुर	15	7.128	12	-	-	-	-	-	-	-
		यूनियन बैंक छतरपुर	10	4.750	7	-	1	0.250	0.037	-	-	-
		पी.एन.बी. छतरपुर	10	4.750	11	-	6	1.450	0.217	-	-	-
		बड़ोदा बैंक छतरपुर	10	4.750	6	-	-	-	-	-	-	-
		इलाहाबाद बैंक छतरपुर	10	4.750	13	-	-	-	-	-	-	-
		पंजाब एण्ड सिंध बैंक	10	4.750	7	-	-	-	-	-	-	-
		एस.बी.आई.इन्दौर	5	2.375	10	-	-	-	-	-	-	-
2-	नौगांव	स्टेट बैंक नौगांव	15	7.127	23	-	10	2.600	0.390	-	-	-
3-	हरपालपुर	स्टेट बैंक हरपालपुर	5	2.375	5	-	-	-	-	-	-	-
		पी.एन.बी हरपालपुर	5	2.375	5	-	-	-	-	-	-	-
4-	गढ़ीमलहरा	स्टेट बैंक गढ़ीमलहरा	5	2.375	12	-	-	-	-	-	-	-
5-	महाराजपुर	बड़ोदा बैंकमहाराजपुर	5	2.375	6	-	-	-	-	-	-	-
6-	लौड़ी	स्टेट बैंक लौड़ी	10	4.750	5	-	-	-	-	-	-	-
7-	चंदला	स्टेट बैंक चंदला	5	2.375	10	-	-	-	-	-	-	-
8-	बारीगढ़	स्टेट बैंक लौड़ी	6	2.850	-	-	-	-	-	-	-	-
9-	राजनगर	स्टेट बैंक राजनगर	8	3.800	14	-	-	-	-	-	-	-
10-	खजुराहो	केनरा बैंक खजुराहो	8	3.800	8	-	-	-	-	-	-	-
11-	सटई	स्टैट बैंक सटई	5	2.375	-	-	-	-	-	-	-	-
12-	बड़ामलहरा	स्टेट बैंक बड़ामलहरा	8	3.800	4	-	4	1.150	0.170	-	-	-
13-	बिजावर	स्टेट बैंक बिजावर	10	4.750	12	-	-	-	-	-	-	-
14-	बकस्वाहा	स्टेट बैंक बकस्वाहा	5	2.375	9	-	4	1.150	0.170	-	-	-
15-	घुवारा	स्टेट बैंक बड़ामलहरा	3	1.425	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	**173**	**82.180**	**179**		**25**	**6.600**	**0.984**			

2. **शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण –** कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सेवाओं और निर्माण व्यवसायों तथा स्थानीय कौशल एवं स्वयं का शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जाता है, ताकि वे अपना कोई स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सके।

प्रशिक्षण पाठयक्रम 300 घंटे अथवा तीन माह की अवधि का दिया जाता है। साथ ही सामग्री का खर्च, प्रशिक्षण की फीस प्रशिक्षण संस्थान उठाये जाने वाले अन्य फुटकर खर्चो के अलावा प्रशिक्षार्थी का मासिक वजीफा सहित 2000/– रूपया प्रति प्रशिक्षणार्थी देय है।

क्र.	निकाय का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत संख्या	प्रशिक्षणरत संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	न. पं. लौड़ी	घरेलू विद्युत फिटिंग	उमा इलेक्ट्रानिक्स इंस्टीट्यूट, छतरपुर	10	10
		मोटर बाईडिंग		10	10
		घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत		10	10
2	न. पं. चंदला	घरेलू विद्युत फिटिंग	उमा इलेक्ट्रानिक्स इंस्टीट्यूट, छतरपुर	10	10
		मोटर बाईडिंग		10	10
		घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत		10	10
3	न. पं. बारीगढ़	घरेलू विद्युत फिटिंग	उमा इलेक्ट्रानिक्स इंस्टीट्यूट, छतरपुर	10	10
		मोटर बाईडिंग		10	10
		घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत		10	10
4	न. पं. घुवारा	घरेलू विद्युत फिटिंग	उमा इलेक्ट्रानिक्स इंस्टीट्यूट, छतरपुर	10	10
		मोटर बाईडिंग		10	10
		घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत		10	10
5	न. पं. बक्स्वाहा	घरेलू विद्युत फिटिंग	उमा इलेक्ट्रानिक्स इंस्टीट्यूट, छतरपुर	10	10
		मोटर बाईडिंग		10	10
		घरलू विद्युत उपकरण मरम्मत		10	10

3. **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम :–** कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिसम्मितयों के निर्माण हेतु निर्माण कार्य स्वीकृत कर राशि प्रदाय की जाती है। निर्माण कार्य विभागीय तौर पर पांच लाख से कम आबादी वाले स्थानीय नगरीय निकायों में कराये जाते है। वर्ष 2005–06 में आवंटन अप्राप्त है।

4. **अधोसरंचनात्मक सहायता कार्यक्रम –** अधोसंरचनात्मक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सेवा केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। इस सामाजिक सेवा केन्द्रों का उपयोग स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों के लिये कार्य स्थलों या बिक्री का संचालन सामुदायिक विकास समिति द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक सामुदायिक विकास समिति/स्थानीय नगरीय निकाय में 3मी. X 4 मी. साईज के सामाजिक सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 05–06 में आवंटन अप्राप्त है।

5. **महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम —** इस कार्यक्रम के तहत शहरी गरीब परिवार की महिलाओं को सामूहिक रूप से आय उपार्जन गतिविधियों को संचालित करने हेतु कम से कम 10 महिलाओं के समूह का परियोजना लागत राशि 250000/— 50 प्रतिशत या अधिकतम 125000/— शासकीय अनुदान का प्रावधान है। बैंक ऋण राशि 112500/— तथ मार्जिन मनी 12500/— नियत है।

क्र.	बैंक का नाम	बैंक कोड	शाखा की संख्या	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
					अनुदान राशि	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	इलाहाबाद बैंक	1	1	-	-	-
2	बैंक आफ बड़ोदा	3	2		-	-
3	केनरा बैंक	6	1	1	1.190	1.190
4	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	14	1		-	-
5	पंजाब नेशनल बैंके	15	2		-	-
6	भारतीय स्टैट बैंक	17	13	5	5.937	5.938
7	स्टैट बैंक आफ इंदोर	18	1		-	-
8	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	21	1	1	1.187	1.188
	योग		&	7	8.314	8.316

6. **बचत एवं साख समिति —** इस कार्यक्रम के तहत कम से कम 10 व अधिकतम 20 महिलाओं के समूह द्वारा सामुदायिक बचत को बढ़ावा देने और अन्य सामूहिक कार्यकलापों के लिये बचत एवं साख समितियों को गठित किये जाने का प्रावधान है। बचत एवं साख समितियों के स्थानीय स्तर पर साधन जुटाने के प्रयासों को वृहत संस्थागत वित्त व्यवस्था से जोड़ने का कार्य करेगी। ताकि वे विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे धन प्राप्त कर सके और उन्हें वृहत वित्तीय एवं साख आधार पर मिल सके। बचत एवं साख समितियां एक वर्ष तक निरन्तर संचालित रहने की दशा में 1000/— राशि प्रति हितग्राही अधिकतम 20000/— प्रति समिति को चक्रीय निधि देने का प्रावधान है।

क्र.	निकाय का नाम	ग्रुपवार विवरण	रिवाल विंग पफण्ड	सी.सी. लिमिट	पूर्व में जमा कुल राशि	कुल)ण की राशि
1	2	3	11	12	14	17
1	न.पा. छतरपुर	62	2.030	-	1.990	3.330
2	न.पा. नौगांव	43	-	-	5.106	9.397
3	न.पं. हरपालपुर	7	-	-	1.751	1.893
4	न.पं. गढ़ीमलहरा	23	-	1.650	4.091	6.296
5	न.पं. महाराजपुर	19	0.790	-	2.756	3.421
6	न.पं. लौड़ी	5	-	-	0.420	0.020
7	न.पं. चंदला	14	-	-	0.590	0.210
8	न.पं. बारीगढ़	7	-	-	0.125	0.230
9	न.पं. राजनगर	4	-	-	0.033	-
10	न.पं. खजुराहो	8	-	-	0.533	0.131
11	न.पं. सटई	8	-	1.480	0.989	0.380
12	न.पं. बिजावर	25	0.190	1.200	5.560	5.303
13	न.पं. बड़ामलहरा	22	-	2.000	2.702	0.801
14	न.पं. घुवारा	7	-	0.500	0.288	0.064
15	न.पं. बक्स्वाहा	8	-	0.250	0.442	0.056
	योग	262	3.010	7.080	27.376	31.532

7. **सामुदायिक संगठक घटक –** सामुदायिक संगठक घटक के अन्तर्गत नगरीय निकायों को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु निम्न राशि वर्ष 2005–06 में दी गई :–

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	स्वीकृत राशि
1.	न. पं. सटई	सामुदायिक भवन निर्माण हेतु	175000 / –	175000 / –
2.	न. पं. बड़ामलहरा	सामुदायिक भवन निर्माण हेतु	186000 / –	186000 / –

8. **पर्यावरण सुधार कार्यक्रम –** पर्यावरण सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जिले की नगर पंचायतों के उन क्षेत्रों में जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निवास करते है व जो गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित है उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा आवंटन दिया जाता है। मूलभूत सुविधायें सामुदायिक विकास समिति के सुझाव पर एवं नगर पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नगर पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। समस्त कार्य विभागीय तौर पर कराये जाने का प्रावधान नियत है। वर्ष 2005–06 में आवंटन अप्राप्त है।

9. **राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम –** राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास छतरपुर जिले में 1 जनवरी 1997 से लागू किया गया है योजनान्तर्गत नगर पालिका छतरपुर एवं नौगांव को सम्मिलित किया गया है छतरपुर/नौगांव के उन क्षेत्रों में जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निवास करते है व जो गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित है उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाता है। मूलभूत सुविधायें स्थानीय निकायों के प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्थानीय निकायों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। समस्त कार्य विभागीय तौर पर कराये जाने का प्रावधान है।

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लागत
1	2	3		4
1	न.पा. छतरपुर	पूरन हरिजन से मुक्तिधारम तक सी.सी. रोड निर्माण	05–06	200000
		जानराय टोरिया से सिंधी कालोनी तक सी.सी. रोड निर्माण	"	200000
		पुरानी सी.सी से पुशु औषधालय के सामने तक सी.सी. रोड निर्माण	"	100000
		पुरानी सी.सी से पुशु औषधालय के उत्तर दिशा में सी.सी. रोड निर्माण	"	50000
1		पप्पू ड्रायवर के मकान से साहू के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण	"	150000
		जानराय मंदिर पहुंच मार्ग तक सी.सी. रोड निर्माण	"	100000
		अयोध्या बस्ती में पहुंच मार्ग सौन्दर्यीकरण, रिटर्निंग बाल ब्लाक	"	100000
		अयोध्या बस्ती में ढलान से मगन काछी तक सी.सी. रोड निर्माण	"	100000
2	न. पा. नौगांव	वार्ड नं. 13 दयाल के मकाने से टयूब बेल तक सी.सी. रोड निर्माण	2004–05	128200
		वार्ड नं. 13 किशना के मकान से नाला तक यूसेफ नाली निर्माण	"	142200
		वार्ड नं. 14 में अवधेश अहिरवार से आनंदमोहन तक यूसेफ नाल	05–06	45500
		अयोध्या बस्ती में वार्ड नं. 14 में आनंदमोहन से रामसेकव तक नाली	"	68250
		अयोध्या बस्ती वार्ड नं. 14 में मकुन्दी से जगन्नाथ तक सी.सी. रोड	"	426250
		अयोध्या बस्ती वार्ड नलं. 14 में मुख्य सड़क से अंबेडकर स्कूल तक सी.सी रोड		90800

10. **जन श्री बीमा योजना –** इस योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे और उससे थोड़ा ऊपर जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उददेश्य है। 18 से 60 वर्ष की आयु के नागरिक का रूपये 200/– वार्षिक प्रीमियम पर जिसके रूपये 100/– सामाजिक सुरक्षा कोष से देय होगे शेष रूपये 100/– बीमित सदस्य द्वारा देय होगे, जन श्री बीमा किया जावेगा, बीमित व्यक्ति सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 20000/– तथा दुर्घटना, मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता अथवा दो आंखे या दो हाथ पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 50000/– तथा दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्ष्म होने पर 25000/– बीमित व्यक्ति को जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किया जावेगा। गरीबी रेखा के नीचे बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को बगैर किसी प्रकार के प्रीमियम के शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत 300/– रूपये प्रति त्रैमासिक छात्रवृत्ति भी जीवन बीमा निगम द्वारा दी जायेगी।

11. **राजीव स्वावलंबन योजना –** नगरीय क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार, विकलांगों, बेसहारा और परित्यक्ता महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित करने हेतु दुकाने उपलब्ध कराना। नगरीय निकायों द्वारा शहरी बेरोजगारोंको नगर पंचायत क्षेत्र में 4000/– रूपये अमानत तथा 150/– मासिक किराये पर तथा 50 हजार एक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में 6000/– अमानत तथा 250/– मासिक किराया एवं 3 लाख तक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में 10000/– अमानत तथा 750/– मासिक किराये पर नगरों की प्रत्येक एक हजार की आबादी पर 40 से 70 वर्गफीट की दुकान उपलब्ध कराई जाएगी।

(13) वास्तविक हितग्राहियों की सूची –

वर्ष 2005–06 की सूची नगरीय निकायों की जानकारियों में उल्लिखित है।

(14) कार्यालय में उपलब्ध जानकारी – हार्डकापी एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उपलब्ध है।

(15) आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने की सुविधा –

कार्यालयीन समय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक

(16) लोक सूचना अधिकारी के नाम पदनाम तथा अन्य विभाग प्रमुख द्वारा सूचित किया जावेगा।

अ. क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नं.	कार्यालय का फोन नं.	कार्यालय पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सुभाष अग्रवाल	परियोजना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी	9425144034	241391	जिला शहरी विकास अभिकरण छतरपुर	साय 4–5
2.	श्री आर.के. शर्मा	कनिष्ठ लेखा अधिकारी /सहा. लोक सूचना अधिकारी	9425140802	241391	''	''
3.	श्री अजातशत्रु	अपीलीय अधिकारी	241500	241501	कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण छतरपुर	''

(17) अन्य सूचना, धारा 4 (1) बी

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।

   अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

2. जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण की कार्य पालन समिति की बैठक के कार्यवृत आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु उपलब्ध है जिनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगे।